नगर निगम, गोरखपुर

पथ प्रकाश विभिन्न पर्वो पर अस्थाई प्रकाश व्यवस्था का कार्य कराये जाने हेतु, दरो की निविदा हेतु विस्तृत नियम एवं शर्तें–

1– पंजीकृत ठेकेदार से अस्थायी प्रकाश व्यवस्था हेतु दर प्राप्त किये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है जो अनुबन्ध के दिनाँक से 31 मार्च 2018 तक मान्य होगी।

2– निविदादाता को सत्यंकार धनराशि के रूप में रूपया 1,00,000.00 का एन.सी.आर./एफ.डी.आर. जो प्रभारी अधिकारी, पथ प्रकाश, नगर निगम गोरखपुर के पक्ष में बंधक होगा, संलग्न करना अनिवार्य होगा।

3– तकनीकि प्रस्ताव, वित्तीय प्रस्ताव एवं सत्यंकार धनराशि (अर्नेस्ट मनी) पृथक–पृथक लिफाफों में बन्द करते हुए तीनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में सील बन्द कर निविदा डाली जायेगी। तीनों लिफाफों के ऊपर क्रमशः तकनीकि प्रस्ताव, वित्तीय प्रस्ताव एवं सत्यंकार धनराशि (अर्नेस्ट मनी) तथा बड़े लिफाफे के ऊपर ठेकेदार/फर्म का नाम अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

4– पूर्ण रूप से भरे हुए एवं यथा–स्थान हस्ताक्षरित तकनीकि व वित्तीय प्रस्ताव पर ही विचार किया जायेगा।

5– नियम एवं शर्तो सम्बन्धी प्रपत्र संख्या **T-2** पर निविदादाता का सहमतिस्वरूप हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है।

6– निविदा मूल्य जमा करने सम्बन्धी **मूल रसीद** तकनीकी प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

7– ठेकेदार/फर्म को वर्ष 2017–18 हेतु **उ0प्र0 शासन द्वारा जारी "क" श्रेणी विद्युत लाइसेन्स की स्वप्रमाणित** प्रति तकनीकी प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा

8– निविदादाता को नगर निगम का **पंजीयन प्रमाण पत्र, व्यापार कर का पंजीयन प्रमाण पत्र,** एवं आयकर विभाग का स्थाई खाता संख्या **(PAN)** की स्वप्रमाणितप्रति तकनीकी प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

9– निविदाये सिर्फ प्रति अदद दर हेतु मांगी गयी है। आवश्यकतानुसार अस्थाई प्रकाश व्यवस्था हेतु स्वीकृत दर पर न्यनूतम निविदादाता को वर्ष 2017–18 तक अस्थाई प्रकाश व्यवस्था करनी होगी।

10– तकनीकी प्रस्ताव में अर्ह पाये जाने वाले निविदादाता का ही वित्तीय प्रस्ताव खोला जायेगा।

11– प्रपत्र संख्या **F-1** में आपूर्ति किये जाने वाली सामग्री का प्रति अदद दर प्रतिदिन देना अनिवार्य होगा। अपूर्ण/अस्पष्ट वित्तीय प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

12– सफल निविदादाता को कार्यादेश प्राप्त होने के तीन दिन के अन्दर उचित मूल्य के स्टैम्प पेपर पर इकरारनामा करके कुल मूल्य का 10 प्रतिशत की दर से जमानत की धनराशि जमा करना होगा।

13– अनुबन्ध स्टैम्प पेपर ट्रेजरी (कोषागार) से सीधे क्रय करना अनिवार्य है।

14– सफल निविदादाता द्वारा यदि समय से कार्य पूर्ण नही किया गया तो नगर आयुक्त नगर निगम को यह अधिकार होगा कि वह कार्य को किसी अन्य से करा लें तथा इस प्रक्रिया मे जो निगम को अधिक व्यय करना होगा वह निविदादाता के धरोहर धनराशि से जब्त करके पूर्ण करके पूर्ण कर लिया जायेगा।

15– निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम गोरखपुर के पास सुरक्षित होगा, किसी भी विवाद के सम्बन्ध मे नगर आयुक्त, नगर निगम गोरखपुर का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

16– किसी वाद की दशा में न्याय क्षेत्र गोरखपुर नगर आयुक्त का होगा।

प्रभारी अधिकारी (पथ प्रकाश)
नगर निगम, गोरखपुर।

नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर